

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

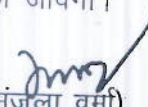
क्रमांक :- एफ. 3(ख) (ए-डीजीएस/93)(लिंक नं. 1154)/ अलेसे-11/245

दिनांक :- 11-5-18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अशोक बोहरा (लिंक नं. 1154) कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के पद पर कार्यरत हैं एवं जिनकी जन्म तिथि 04.12.1962 है, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.2018 के क्रम में दिनांक 23.06.2018 से 05.07.2018 (कुल 13 दिवस) की अवधि में यूरोप, फ्लोरेन्स, वेनिस, पेरिस निदरलैण्ड जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
 2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में उठरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/फैक्स नम्बर आदि सूचित करेंगे।
 3. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
 4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेंगे।
 5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीय भंग नहीं करेंगे।
 6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
 7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
 8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
 9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
 10. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
 11. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
- यह स्वीकृति 23.06.2018 से 05.07.2018 की अवधि के लिये मान्य होगी।

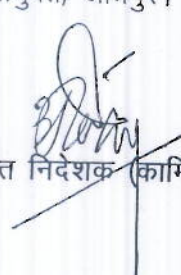

(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (ए-डीजीएस/93)(लिंक नं. 1154)/ अलेसे-11/245

दिनांक :- 11-5-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त श्रम आयुक्त (संभागीय), जोधपुर।
2. श्री अशोक बोहरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर।
3. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा। ~~अपलोड~~ /
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)